<u>न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, अजमेर</u>

(निर्णय बईजलास गजेन्द्र सिंह राठैड, आर0ए0एस0 अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,अजमेर)

अपील एल0आर0 एक्ट संख्या :-47/2019/भीलवाड़ा

रूपा पुत्र लाखा जाति गूर्जर निवासी हासियास तहसील व जिला भीलवाड़ा।

--अपीलांट

बनाम

1. श्रीमती गट्टू पुत्री लाखा पत्नि मेघा जाति गूर्जर निवासी हासियास हाल निवासी कानपुरा तहसील व जिला भीलवाड़ा।
2. भैरू पुत्र नन्दा जाति गूर्जर निवासी हासियास तहसील व जिला भीलवाड़ा।
3. झमकू पुत्री नन्दा पत्नि रामलाल जाति गूर्जर निवासी हासियास हाल लसाड़िया तहसील कोटड़ी जिला भीलवाड़ा।
4. मोहन पिता लाखा गूर्जर मृतक जरिये वारिसानः–

4/1–गिरधारी पुत्र मोहन
4/2–नानू पुत्र मोहन
4/3–गोपाल पुत्र मोहन
4/4–काना पुत्र मोहन
4/5–रामेश्वर पुत्र मोहन
4/5–रामेश्वर पुत्र मोहन
4/6–चांदी उर्फ चान्दू पुत्री मोहन पत्नि हजारी ,समस्त जाति गूर्जर निवासी हासियास हाल निवासी कानपुरा तहसील व जिला भीलवाड़ा।

5. सुखा पुत्र लाखा जाति गूर्जर निवासी हासियास तहसील व जिला भीलवाड़ा।
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाड़ा।
7. उप–पंजीयक भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा।
8. प्रबन्धक, बड़ौदा क्षैत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा दाथल, जिला भीलवाड़ा।
9. प्रबन्धक, बैंक ऑफ राजस्थान(आईसीआईसीआई) शाखा मंगरोप जिला भीलवाड़ा।

– रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय विदवान उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा दिनांक 27.06.2016 जो प्रकरण संख्या 2/2016 में पारित किया गया।

उपस्थित अभि0ः–श्री भीयाराम चौधरी (वकील अपी0)
राजकीय अभि0ः–उपस्थित

<u>निर्णय</u> दिनांकः–13.01.2023

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम हासियास तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित खाता संख्या 20 कुल किता 15 कुल रकबा 23 बीघा 19 बिस्वा भूमियां स्वर्गीय लाखा पुत्र हेमा जाति गुर्जर की खातेदारी में थी तथा खसरा संख्या 356 रकबा 4 बिस्वा गैर मुमकीन चाह में स्वर्गीय लाखा का 2/3 हिस्सा दर्ज है। लाखा पुत्र हेमा गूर्जर का स्वर्गवास दिनांक 30.01.1988 से पूर्व हो चुका है। इनकी विरासत का नामातंरण नन्दा,मोहन,रूपा,सुखा पिता लाखा के नाम नामातंरण संख्या 133 दिनांक 30.01.1988 को स्वीकृत किया गया। 29 वर्ष बाद

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.08.08 10:19:07 IST
Reason: SelfAttested

रेस्पोडेंट संख्या 1 श्रीमती गट्टू ने नामातंरण संख्या 133 दिनांक 30.01.1988 के विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी भीलवाड़ा के न्यायालय में धारा 5 मियाद अवधि अधिनियम प्रार्थना पत्र के साथ दिनांक 15.01.2016 को अपील प्रस्तुत की तथा विवादित भूमियों में अपना 1/5 हिस्सा बताया। उक्त अपील में रेस्पोडेंट संख्या 1 ने एक घोषणात्मक वाद उपखण्ड अधिकारी न्यायालय में प्रस्तुत किया हुआ है। उपखण्ड अधिकारी भीलवाड़ा द्वारा दिनांक 27.06.2016 को राजस्व लोकअदालत कैम्प कान्दा में बिना अपीलांट को नोटिस दिये व बिना सुनवाई का अवसर दिये नामातंरण संख्या 133 दिनांक 30.01.1988 को निरस्त करते हुए प्रकरण तहसीलदार भीलवाड़ा को नये सिरे से सुनवाई हेतु रिमाण्ड किया। इससे व्यथित होकर अपीलांट द्वारा निम्न आधारो पर अपील प्रस्तुत की है–

1. अपील बहुत देरी से प्रस्तुत की गई तथा धारा 5 मियाद अवधि अधिनियम प्रार्थना पत्र को निर्णित किये बिना निर्णय किया है जो निरस्त योग्य है।

2. अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेंट संख्या 2 से 9 को नोटिस तामील न होते हुए भी उनकी उपस्थिति दर्ज बतायी गई है।

3. लोकअदालत में सिर्फ सहमति आधार पर ही निर्णय किये जाते है। इस प्रकरण में ऐसी कोई सहमति नहीं दी गई।

4. नियमित वाद के निर्णय तक अपील की कार्यवाही को स्थगित किया जाना चाहिए था।

5. नामातंरण की अपील में हिस्सो बाबत निर्णय नहीं किया जा सकता है।

6. रेस्पोडेंट संख्या 1 का वाद का काज ऑफ एक्शन विवादित नामातंरण है। मगर प्रस्तुत अपील में गलत तथ्य अंकित किये गये है कि उन्हे नामातंरण के बाबत जानकारी बाद में मिली है। अधीनस्थ न्यायालय को अपील को धारा 10 सीपीसी के तहत स्थगित कर देना चाहिए था या नियमित वाद के साथ अपील पत्रावली को जोड़कर नियमित वाद के निर्णय अनुसार आगामी कार्यवाही के आदेश पारित करने तक का ही अधिकार प्राप्त था। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा क्षेत्राधिकार का अनुचित इस्तेमाल किया है जो निरस्त योग्य है।

7. अंत में अपीलाधीन निर्णय द्वारा उपखण्ड अधिकारी भीलवाड़ा निर्णय दिनांक 27.06.2016 निरस्त कर नामातंरण संख्या 133 दिनांक 30.01.1988 को बहाल किया जाये।

अपील के साथ अपीलांट द्वारा स्थगन प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र तथा मियाद अवधि अधिनियम प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

अपील के न्यायालय के क्षेत्राधिकार में होने के कारण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेंट को नोटिसेज जारी किया गया। अधीनस्थ न्यायालय से रिकोर्ड तलब कर प्राप्त किया गया। अपीलांट द्वारा धारा 152 सीपीसी वास्ते रेस्पोडेंट संख्या 4 के वारिसान 4/1 से 4/7 दर्ज करने बाबत प्रार्थना पत्र दिया गया। रेस्पोडेंट संख्या 1 से 3 , 4/1 से 4/7, 5 से 8, 9 अनुपस्थित रहे।

बहस एकपक्षीय सुनी गई। बहस में वकील अपीलांट ने बताया कि भारी मियाद बाहर अपील 29 वर्ष बाद प्रस्तुत की गई थी तथा उपखण्ड अधिकारी द्वारा मियाद बिन्दु को निर्मित नहीं किया गया। उपखण्ड अधिकारी द्वारा निर्णय [illegible] पृ[illegible] से लिखवाया है। सिर्फ प्रोसिडिंग में दर्ज किया गया है।

सर्वप्रथम अपीलांट द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। सिर्फ अपीलाधी निर्णय दिनांक 27.06.2016 मे उपखण्ड अधिकारी भीलवाडा में सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना, नोटिस तामील करवाये बिना निर्णय की जानकारी नहीं हो पाई। दिनांक

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.08.08 10:19:07 IST
Reason: SelfAttested

20.10.2019 को रेस्पोडेंट संख्या 1 जब भूमि का हिस्सा व कब्जा लेने आई तब अपीलाधीन निर्णय की जानकारी हुई। दिनांक 21.10.2019 को अभिभाषक से सम्पर्क कर नकल हेतु आवेदन पत्र दिया। दिनांक 30.10.2019 को नकल प्राप्त हुई। शीघ्र अपील तैयार कर न्यायालय में प्रस्तुत की गई। देरी को क्षमा किया जाये। प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। न्यायालय हाजा में उक्त अपील दिनांक 29.11.2019 को प्रस्तुत किया जाना पाया जाता है। जानकारी दिनांक से अपील अंदर मियाद होना पाई जाती है। देरी को क्षमा किया जाता है।

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत 152 सीपीसी के प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र के अनुसार अपील मीमो के पेज संख्या 1 पर मोहन पुत्र लाखा के वारिसान की क्रम संख्या त्रुटि से 3/1 से 3/7 दर्ज कर लिया गया है जिसे 4/1 से 4/7 दर्ज किया जाना आवश्यक है। अपील मीमो के पेज संख्या 1 पर क्रम संख्या 3 पर पूर्व से ही जमकू पुत्री नन्दा का नाम दर्ज है। अतः रेस्पोडेंट संख्या 4 मोहन पिता लाखा के वारिसान को 3/1 से लेकर 3/7 की जगह 4/1 से लेकर 4/7 दर्ज किया जाना न्यायालय न्यायोचित समझता है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 152 सीपीसी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

अपीलाधीन निर्णय प्रकरण संख्या 2/2016 विवादित नामातंरण 133 ग्राम हासियास का अवलोकन किया गया। नामातंरण संख्या 133 के कॉलम संख्या 16 के अनुसार यह अंकित है कि लाखा को फौत हुए करीब दो–ढाई वर्ष हो चुके है। उसकी बजाय उसके जाइन्दा लड़के नन्दा,मोहन,रूपा,सुखा के नाम इन्तकाल दर्ज कर स्वीकृति हेतु पेश है। कार्यवाही बेरूमियाद है। उक्त नामातंरण ग्राम पंचायत कान्दा दिनांक 30.01.1988 को प्रस्तुत हुआ तथा ग्राम पंचायत द्वारा खाता रद्दो–बदल की स्वीकृति सर्वसम्मति से पंचायत कोरम द्वारा दी जाना पाया जाता है। अपीलाधीन निर्णय दिनांक 27.06.2016 का अवलोकन किया गया है। तामील के विषय को देखा गया। उक्त अपील की अधीनस्थ न्यायालय में रीडर द्वारा दर्ज रिपोर्ट पर यह लिखा हुआ है कि उक्त उनवान का वादपत्र एवं स्थगन प्रार्थना पत्र न्यायालय में विचाराधीन है। जिसमे पेशी दिनांक 11.01.2016 निहित है। उपखण्ड अधिकारी के रीडर द्वारा कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत कान्दा हेतु गट्टू बनाम भैरू उनवान से दिनांक 16.06.2016 को नोटिस जारी किया गया था। जिसमें मोहन के वारिसान तथा रूपा, सुखा पिता लाखा गूर्जर को नोटिस जारी किया गया है। उक्त नोटिस के पुश्त पर यह अंकित है कि स्वयं ने ली निशानी सुखा अंकित है तथा अन्य नोटिस की पुश्त पर यह दर्ज है स्वयं ने ली और भैरू अंकित है। अपीलांट की इस बात में सत्यता है कि बिना तामील करवाये ही उपस्थिति बतायी गई है। जो उचित नहीं है। क्योकि सिर्फ भैरू और सुखा को ही तामील होना माना जा सकता है। अन्य की तामील नहीं होते हुए भी तामील होना बताया गया है तथा यह बात भी सत्य है कि अपील से पूर्व में घोषणात्मक वाद का एक दावा रेस्पोडेंट संख्या 1 के द्वारा प्रस्तुत किया जाना पाया जाता है। यह रेस्पोडेंट संख्या 1 के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत अपील मीमो के क्रम संख्या 5 पर उल्लेखित है। अपीलाधीन निर्णय दिनांक 27.06.2016 पृथक से नहीं लिखवाया जाकर प्रोसिडिंग पर दर्ज किया गया है। जो निम्नानुसार है–**पत्रावली कोर्ट कैम्प कान्दा पर पेश। वादिया के वकील व प्रतिवादी संख्या 1 उपस्थित। वादीया अपनी भूमि मे से हिस्सा चाहती है। ग्राम पंचायत कान्दा द्वारा नामातंरण संख्या 133 दिनांक 30.01.1988 को खोला गया। जिसमें अपीलार्थीया का नाम दर्ज नहीं किया गया। अतः ग्राम पंचायत द्वारा खोला गया नामातंरण को अपास्त किया जाकर अपीलार्थीया का नाम प्रतिवादीगण के साथ हिस्सा अनुसार नाम दर्ज करे।** अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत कान्दा द्वारा नामातंरण संख्या 133 दिनांक 30.01.1988 को अपास्त किया जाता है। प्रकरण तहसीलदार भीलवाड़ा को रिमाण्ड किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि सभी पक्षकार को सुन निर्णय पारित करे। तहसीलदार को निर्णय व अपील की छाया प्रमाणित

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.08.[illegible] IST
Reason: SelfAttested

पालना हेतु भिजवायें। आज ही निर्णय कोर्ट कैम्प कान्दा पर सरेआम सुनाया है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों।

निर्णय के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपील के साथ अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 मियाद अवधि अधिनियम प्रार्थना पत्र पर कोई निर्णय न करते हुए बिना प्रक्रिया का पालन किये हुए निर्णय दिया है। जो कानून की दृष्टि से सही नहीं ठहराया जा सकता है। उपखण्ड अधिकारी को सर्वप्रथम धारा 5 के प्रार्थना पत्र पर निर्णय किया जाना चाहिए था। जो उनके द्वारा नहीं किया गया है। न्यायालय अपीलांट की इस बात से भी सहमत है कि वादपत्र के विचाराधीन रहते हुए नामातंरण की अपील पर निर्णय पैडिंग रखा जाना चाहिए था। क्योंकि नामातंरण मात्र एक फिस्कल कार्यवाही माना जाता है। समग्र विवेचन से न्यायालय का यह मानना है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना प्रक्रिया का पालन किये हुए बिना धारा 5 प्रार्थना पत्र पर निर्णय किये हुए, बिना पक्षकारो को तामील करवाये अपीलाधीन निर्णय पारित कर गलत किया है। ऐसा निर्णय कानून की दृष्टि से उचित नहीं ठहराया जा सकता है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्टया प्रकरण होने से स्वीकार किया जाता है। अपीलाधीन निर्णय अपास्त किये जाने योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अपील द्वारा अपीलांट स्वीकार की जाती है। अपीलाधीन निर्णय द्वारा उपखण्ड अधिकारी भीलवाड़ा प्रकरण संख्या 2/2016 उनवानी गट्टू बनाम भैरू व अन्य विरूद्ध नामातंरण संख्या 133 निर्णय दिनांक 30.01.1988 को अपास्त किया जाता है। नामातंरण संख्या 133 दिनांक 30.01.1988 ग्राम कान्दा को बहाल किया जाता है।

यह आदेश आज दिनांक 13.01.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गजेन्द्र सिंह राठौड़)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
अजमेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.08.08 10:19:07 IST
Reason: SelfAttested